

आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग
राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलेक्टर (आ.प्र.एवं सहा. एवं नागरिक सुरक्षा), बाड़मेर

क्रमांक: f.35/bam/2023/1/746 / 12.06.2023

दिनांक: 30/05/2023


प्रशासनिक स्वीकृति नंबर: AS/SOREL/BAR/0006463

प्रशासनिक स्वीकृति

तहसीलदार की अभिशंखा सहित प्राप्त निम्न चक्रवात के प्रकरणों में आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर की पालना में एवं भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन अनुभाग के पत्रांक 33-3/2020 NDM-1 दिनांक 10.10.2022 अवधि 2022-2026 में राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के अंतर्गत दिए गए प्रावधान अनुसार चक्रवातसे पीड़ितों को उनके नाम के सम्मुख अंकित राशि के अनुसार आर्थिक सहायता कर रूप में भुगतान करने की प्रशासनिक स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	आवेदन संख्या	पीड़ित का विवरण	आपदा का क्षेत्र	आपदा की दिनांक	क्षति का प्रकार	क्षति का विवरण	देय सहायता राशि
1	AR/BARM/2022/0424 21	नाम: Khangara Ramपिता का नाम: Achala Ramजिला: बाड़मेर	panawasapura devpura urf gogasar, panawasapura devpura urf gogasar, जिज्ञा, पंचायत समिति - जिज्ञा, ग्राम पंचायत - गात - पन्नातामपुजा योरा	21/06/2022	चक्रवात	DUE TO 1 CHPRA IN VILLAGE =2100	2100
							2100

इस राशि का व्यय निम्न बजट मद से किया जायेगा :- 2245-01-800-(03)-I021-12



जिला कलेक्टर
(आ.प्र.एवं सहा. एवं नागरिक सुरक्षा)
बाड़मेर

आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

क्रमांक - 747-53 दिनांक - 12.06.2023 राजस्थान सरकार

प्रतिलिपि - निम्नानुक्तों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. शासन सचिव आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त.....
3. जिला कलेक्टर, बाड़मेर।
4. उपखंड अधिकारी
5. तहसीलदार
6. जिलासूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, बाड़मेर।
7. रोकडपाल (सहायता शाखा) कार्यालय हाजा


प्रभारी अधिकारी
(आ.प्र.एवं सहा. एवं नागरिक सुरक्षा)
बाड़मेर